REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 878]
 नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2016/पौष 1, 1938

 No. 878]
 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2016/PAUSA 1, 1938

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1166(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने हेतु कतिपय प्रारुप नियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित, उन सभी व्यक्तियों से जिनकी उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने हेतु भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में संख्या सा.का.नि. 957(अ), दिनांक 6 अक्तूबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिस तारीख को सरकारी राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवाई गई थी।

और जबकि उक्त सरकारी राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को 6 अक्तूबर, 2016 को उपलब्ध करवाई गई थी;

और जबकि उनसे संभवत: प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकर द्वारा विचार किया गया है;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श करने के उपरांत, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:--

1 (1) ये नियम कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) तृतीय संशोधन नियम, 2016 कहे जाएंगे।

(2) ये 1 जनवरी, 2017 से प्रवृत्त होंगे।

 कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में, नियम 50 में, दो स्थानों पर आने वाले "पंद्रह हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "इक्कीस हजार रुपये" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. एस-38012/02/2013-सा.सु.-I]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 तारीख 22 जून, 1950 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 959(अ), तारीख 6 अक्तूबर, 2016 को संशोधित किया गया।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2016

G.S.R. 1166(E).—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 957(E), dated the 6th October, 2016, as required by sub-section (1) of section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 6th October, 2016;

And whereas, objections and suggestions received from persons likely to be affected thereby have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 95 of the said Act, the Central Government, after consultation with the Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Employees' State Insurance (Central) Third Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force from 1^{st} day of January, 2017.
- 2. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 50, for the words "fifteen thousand rupees" occurring at both the places, the words 'twenty one thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. S-38012/02/2013-SS-I]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 212 dated the 22nd June, 1950 and lastly amended vide notification number G.S.R. 959(E), dated the 6th October, 2016.